

कार्यालय नगर पंचायत झिंझाना जनपद-शामली

पत्रांक: 339/ नं०प०झिंझाना/2018-19

दिनांक 26/7/18 2018

"अल्प कालीन निविदा सूचना"

समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया है कि 14 वे० वित्त आयोग की वर्ष 2017-18 की अवशेष धनराशि के अर्न्तगत नगर पंचायत झिंझाना में निम्न लिखित कार्यों को सम्पादित कराने हेतु सील बन्द निविदायें दिनांक 26/7/18 की सांय 2.00 बजे तक आमत्रित की जाती है, जो उसी दिन अथवा अन्य कार्य दिवस में अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी शामली द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के सम्मुख खोली जायेंगी, निविदा पत्र बेचने की तिथि 26/7/18 की सांय 2.00 बजे तक निर्धारित मूल्य जमा करने पर इस निकाय/प्र०अ० कार्यालय से कय की जा की जा सकती है। समस्त निविदाये के साथ 2% धनराशि की एफ०डी०आर०/एन०ओ०सी०/डी०डी०/नकद रूप में, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत झिंझाना, शामली के नाम बन्धक कराकर संलग्न की जानी आवश्यक है। किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी की "शक्तियों में निहित होगा, निविदा की शर्तें एवं विवरण/स्पेशिफिकेशन आदि किसी भी कार्यालय दिवस में देखी जा सकती है। उक्त सूचना को www.shamli.nic.in पर भी देखा जा सकती है।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	आगणन की धनराशि + 12 प्रतिशत जी०एस०टी० +1 प्रतिशत सेस	धरोहर राशि	निविदा मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	मौ० सैदमीर में सुशीला सभासद के मकान से गन्दे नाला तक तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	701800.00	2%	750+12 % GST	3 Month
2	मौ० खटीकान में श्यामलाल के मकान से हरीसिंह कश्यप के मकान तक सी०सी० तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	773800.00	2%	800+12 % GST	3 Month
3	मौ० कानूनगोयान में मा० महेन्द्र से तितसे वाली धर्मशाला तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	957900.00	2%	850+12 % GST	3 Month

नियम व शर्तें :

- शासनादेश संख्या 24पीआईपी(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013, दिनांक 24 अगस्त, 2017 के अनुसार निर्मित की जाने वाली सड़क को निर्माण पूर्ण होने के पश्चात 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी कान्ट्रक्टर/फर्म की होगी।
- प्रत्येक निविदादाता को नियमानुसार 100 रू० के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर स्वयं घोषणा-पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर देना होगा। अपूर्ण एवं अस्पष्ट स्वःघोषणा पत्र होने पर निविदा निरस्त मानी जायेगी।
- स्वीकृत निविदादाता को अपने व्यय पर अनुबन्ध करना होगा।
- किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत झिंझाना (शामली) का होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- स्वीकृत निविदादाता द्वारा कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कराया जाएगा।
- निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
- निविदा प्रपत्र के साथ सभी संलग्नक सभी प्रमाण-पत्रों को स्वतः प्रमाणित करना अनिवार्य होगा।
- उक्त आगणनों की दरे में 12% GST और 1% सेस सम्मिलित है।

(श्री के०पी०तोमर)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत झिंझाना
जनपद शामली

(मौ० नासाद अहमद)
अध्यक्ष
नगर पंचायत झिंझाना
जनपद शामली

- जिलाधिकारी महोदय, शामली की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चरपा कराने हेतु प्रेषित।
- सम्पादक महोदय दै० जनवाणी, एवं दै० हिन्दुस्तान समाचार-पत्र की निकटतम अंक के न्यूनतम कॉलम में प्रकाशित कराकर समाचार-पत्र की बिल सहित प्रति उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (शामली) को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत झिंझाना
जनपद-शामली।